सारण समाहरणालय(जिला योजना कार्यालय) सारण,छपरा।

आदेश

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग , बिहार पटना के विभागीय संकल्प संख्या 5255 दिनांक 23.06.2014, 3756 दिनांक 10/11/13 एवं पत्रांक 1780 दिनांक 3/05/2013 एवं योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 4973 दिनांक 25/11/13 के आलोक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका में विहित प्रावधान के तहत कार्यपालक अभियंता सोनपुर के पत्रांक 1298 दिनांक 07.12.2018 तथा पत्रांक 1351 दिनांक 14.12.2018 द्वारा कुल दो प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। उक्त योजनाओं के प्राक्कलनों के चेक लिस्ट में कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभि0 सगठन कार्य प्रमण्डल -2 सोनपुर द्वारा भूमि उपलब्ध प्रतिवेदित किया गया है। माननीय सांसद द्वारा अनुशंसित भूमि का किस्म की जानकारी संबंधित अंचलाधिकारी से प्राप्त कर बिहार सरकार खास गैरमजरूआ भूमि उपलब्ध होने पर निर्माण हेतु तकनिकि स्वीकृति की राशि के बराबर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

क्र0	प्रखंड का नाम	स्वीकृत योजनाओं का नाम	तकनिकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्ति राशि 75 प्रतिशत	माननीय सदस्य का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	नगरा	नगरा प्रखंड अन्तर्गत अफौर पूरब टोला महादलित बस्ती के सरकारी जमीन खाता नम्बर-251 खेसरा नम्बर-3301 में अम्बेदकर भवन का निर्माण कार्य।	7,36,200	7,36,200	5,50,000	श्री राजीव प्रताप रूढ़ी
2	मढ़ौरा	मढ़ौरा प्रखंड अन्तर्गत धर्मपुर ठेकही ग्राम के सरकारी जमीन खाता नम्बर-06 सर्वे नम्बर-20 में पुस्तकालय भवन का निर्माण कार्य।	7,43,515	7,43,515	5,55,000	
		कुल राशिः-	14,79,715	14,79,715	11,05,000	

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (चौदह लाख उनासी हजार सात सौ पन्द्रह)

विमुक्ति राशि (गयारह लाख पॉच हजार)

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :- इन स्वीकृत योजनाओं का कार्य कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभि0 सगठन कार्य प्रमण्डल -2 सोनपुर द्वारा योजना एवं विकास विभाग पत्रांक 3756 दिनांक 10/11/2013, विभागीय संकल्प संख्या 5255 दिनांक 23.06.2014,के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के द्वारा स्थानीय निविदा /विभागीय स्तर पर योजनाओं का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

...न्वयन की शर्ते

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगे कि स्थल विवादग्रस्त नही है, तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नही पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरूध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी। संबंधित अंचलधिकारी से भूमि प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही योजनाओ का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जाय।
2. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 3756 दिनांक 10/11/2013 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृति योजनाओं के लोक निर्माण सहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजनाओ के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नही किया जायेगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।
5. योजना के कार्य की गुणवता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
7. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक हैं।
8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
9. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबधित प्रशासी विभाग को स्थानातरिंत किया जा सके।
10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
11. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्ण संबंधित अंचलधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर ले। यदि योजना स्थल में किसी की रैयाती भूमि अवस्थित हो तो भू-दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करे। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जवावदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।
12. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय सारण छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
13. विभागीय प्राप्त निदेश के अनुपालनार्थ यदि प्राक्कलन में सेंटेज चार्ज शामिल है तो सेंटेज प्रभार की अंकित राशि द्वितीय किस्त की विमुक्ति की जाने वाली राशि से काट ली जायेगी।

जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1101 /यो0 दिनांक 28-12-18 /

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभि0 सगठन कार्य प्रमण्डल -2 सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- नाजीर जिला योजना कार्यालय सारण ,छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव योजना एवं विकास बिहार पटना /क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी सारण प्रमण्डल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0 टी0 मैनेजर एन0 आई0 सी सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सूनिश्चित करे/संबंधित अंचलधिकारी जिला सारण को सूचनार्थ एवं निदेश है। कि उपरोक्त योजनाओं का जमीन प्रतिवेदन कार्य एजेन्सी को शीघ्र उपलब्ध कराना सूनिश्चित करे।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला योजना पदाधिकारी
सारण,छपरा।